उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4

संख्या बी-4-256/दस-89-10(20)-88

लखनऊ, दिनांक 19 अप्रैल, 1989

कार्यालय ज्ञाप

विषय--शासकीय गारन्टी दिए जाने की प्रक्रिया में परिवर्तन ।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति देने के सभी मामले मंत्रि-परिषद् के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत किए जाएं । तदनुसार गोपन अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/1/3/88-सी0 एस0 (1), दिनांक 27 जनवरी, 1989 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा "उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली 1975" की अपेन्डिक्स की प्रविष्टि संख्या 16 को संशोधित भी कर दिया गया है । अतएव प्रशासकीय विभाग भविष्य में प्रत्याभूति के प्रस्तावों पर अपने स्तर पर निम्नलिखित बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में परीक्षण करके बिन्दुवार स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजें--

(1) निगम/उपक्रम/संस्थाओं को ऋण देने के लिए सम्बन्धित बैंक/बैंक्स/वित्तीय संस्था/संस्थायें सहमत हैं या नहीं और सहमति-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है या नहीं ?

(2) वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण की शर्तों तथा इन संस्थाओं द्वारा निर्धारित गारन्टी फार्म जिस पर शासन द्वारा गारन्टी दी जानी है, में ऐसा कोई प्राविधान तो नहीं है जो शासन के हितों के विरुद्ध हो ?

(3) जिस संस्था की ओर से गारन्टी दी जानी है उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है और वह प्रस्तावित ऋण और उस पर देय ब्याज के प्रतिदान/भुगतान करने के लिए सक्षम है और शासकीय गारन्टी के इन्वोक (Invoke) होने की कोई सम्भावना तो नहीं है ?

(4) संस्था द्वारा पूर्व में लिए गए शासकीय ऋण तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण, यदि कोई हो, और उन पर देय ब्याज के प्रतिदान/भुगतान की स्थिति संतोषजनक है या नहीं ?

(5) शासन के हितों की सुरक्षा हेतु शासकीय गारन्टी के विपरीत सम्बन्धित संस्था काउन्टर गारन्टी देने को तैयार है या नहीं ?

(6) निगम/उपक्रम/संस्था को अपनी निजी परिसम्पत्तियों को बन्धक रखकर ऋण प्राप्त करने में क्या कठिनाई है ? तत्सम्बन्धित स्थिति का स्पष्ट उल्लेख पत्रावली में किया जाए ।

(7) सामान्यतः कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए शासकीय प्रत्याभूति के प्रस्ताव नहीं भेजे जाने चाहिए । ऐसे मामलों में केवल विशेष परिस्थितियों में ही शासकीय प्रत्याभूतियां दिए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे जाने चाहिए जिनमें निगम/उपक्रम/संस्था निजी परिसम्पत्तियों आदि को बन्धक (गिरवी) कर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकने में सफल न हों । ऐसी दशा में साथ ही प्रस्ताव पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी अस्वीकृत सूचना भी पत्रावली पर रक्खी जाए ।

2--प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित प्रारूप (प्रतिलिपि संलग्न) में गारन्टी रजिस्टर रखेंगे तथा प्रस्ताव के साथ उसे वित्त विभाग को उपलब्ध करायेंगे । उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाय कि मंत्रि-परिषद् के लिए जो टिप्पणी प्रस्तुत की जाय, उसमें अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त उक्त बिन्दुओं की स्थिति का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय ।

3--कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

संलग्नक--यथोक्त ।

नवीन चन्द्र बाजपेई,
वित्त सचिव ।
(व्यय-नियंत्रण)

सचिवालय के समस्त अनुभाग
(गोपन अनुभाग-1 को छोड़कर)

संख्या बो-4-256(1) वस-89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या 3/2/3/88-सो० एवम० (1), दिनांक 27 जनवरी, 1989 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
नवीन चन्द्र बाजपेई,
वित्त अधिकारी,
(व्यय नियंत्रण)

प्रशासकीय विभाग द्वारा गारन्टी रजिस्टर मेनटेन करने का प्रारूप ।

क्रम सं0	पत्रावली संख्या	सार्वजनिक निकाय या अन्य निकाय का नाम जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई ।	बैंक/वित्तीय संस्था का नाम जिसके पक्ष में प्रत्याभूति दी गई ।	प्रत्याभूति अधिकतम धनराशि	अदत्त प्रत्याभूति की धनराशि	देय ब्याज की धनराशि	गारन्टी की अवधि		शासनादेश का विवरण	प्रयोजन जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया
							कब से	कब तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 81 स्टे0 दिल्ली 21-9-95 (2442)--1995--2,000 (दि0) ।